ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना

संविदा पर नियोजन हेतु सूचना

प्रेस विज्ञप्ति

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 एवं ज्ञापांक-3815 दिनांक-11.03.2016 के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अधीन बिहार सचिवालय सेवा एवं बिहार सचिवालय संवर्ग के आशुलिपिक के निम्नांकित पदों के लिए नीचे उल्लिखित शर्तों के साथ सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है:-

क्र.	पदनाम	कार्यालय का नाम	पद की संख्या (आरक्षण कोटिवार)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	सहायक	ग्रामीण विकास विभाग	अना0-09, अना0 (म)-05, अ0पि0वर्ग-05, अ0पि0वर्ग (म0)-02, अनु0जा0-04, अनु0जा0(म0)-02, पिछड़ा वर्ग0-03 पिछड़ा वर्ग(म0)-01, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-03, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (म0)-01, अनु0जनजाति-01, पिछड़े वर्गों की महिला-01	
2	आशुलिपिक	ग्रामीण विकास विभाग	अना0-02, अना0 (महिला)-01, अ0पि0व0-01, अनु0जा0-01	

नियोजन की शर्तें:-

(i) चयन हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पूर्व सेवा निवृत्त सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्री विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

(ii) किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरूद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(iii) एक विभाग से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अन्य विभाग में नियोजन के लिए पात्र माने जायेंगे।

(iv) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमत: दो वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।

(v) चूंकि संविदा पर नियोजन की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष निर्धारित है और प्रथम नियोजन दो वर्षों के लिए किया जाना है। अत: वैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनको सेवानिवृत्त हुए कम-से-कम समय हुआ हो। अर्थात संविदा नियोजन में कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जायेगी।

(vi) संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय एवं मानदेय का भुगतान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 के आलोक में देय होगा।

(vii) नई पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे बैंड का प्रारंभिक वेतन+उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महंगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा। परन्तु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य महंगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगी। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन+महंगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

(viii) नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

(ix) इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी इस आशय का भी शपथ पत्र संलग्न करेंगे कि सेवाकाल में उनके विरूद्ध कोई आरोप/विभागीय कार्रवाई/निगरानी का मामला/आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

(x) इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी पूर्ण विवरण निम्नांकित विहित प्रपत्र में हाथों-हाथ या निबंधित पत्र के माध्यम से विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना में जमा करेंगे। आवेदन दिनांक-31.01.2020 के अपराह्न 05:00 बजे तक समर्पित किया जायेगा। आवेदन प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाईट www.rdd.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(xi) संबंधित विभाग/कार्यालय पद विशेष से सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों को उसी विभाग के उसी पद हेतु चयन में प्राथमिकता दी जा सकेगी। परन्तु एक ही विभाग से एक से अधिक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर वैसे अभ्यावेदकों को प्राथमिकता दी जा सकेगी, जिनका संबंधित विभाग/कार्यालय में संबंधित पद पर कार्यानुभव अधिक अवधि तक रहा हो।

(xii) प्राप्त अभ्यावेदन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 के कंडिका-3 (3) के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर गठित चयन समिति के विचार हेतु उपस्थापित किये जायेंगे।

(xiii) आवेदन पत्र को स्वीकार/अस्वीकृत करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार की सिफारिश की स्थिति में नियुक्ति में विचार नहीं किया जायेगा और आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(xiv) शेष सभी सेवा शर्तें/नियम सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 एवं 3815 दिनांक-11.03.2016 के अधीन होगा।

प्रधान सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

उम्मीदवार का अद्यतन अभिप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ

1. आवेदित पद का नाम :-
2. आवेदक का नाम :-
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :-
4. स्थायी पता :-
5. पत्राचार का पता :-
6. आवेदक का जन्म एवं सेवानिवृत्ति की तिथि :-
7. शैक्षणिक योग्यता:-
   (सभी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
8. आरक्षण कोटि:-
   (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
   (आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासियों को ही अनुमान्य होगा)
9. कार्यालय का नाम जहां सेवा निवृत्त हुए है:-
10. सेवा निवृत्त के समय पदनाम:-
11. सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले वेतन/पे बैंड/महंगाई भत्ता एवं अन्य कुल प्राप्त होने वाले राशि (पेंशन स्वीकृत्यादेश आदेश की छाया प्रति संलग्न करें):-
12. वर्तमान में पेंशन की राशि:-
13. मोबाईल संख्या:-

नोट:- आवेदन टंकित करा कर भेजा जा सकता है।

<u>घोषणा पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गयी सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छिपाई गयी है और न ही अनुचित ढंग से प्रस्तुत की गयी है। यदि भविष्य में किसी स्तर पर दी गयी जानकारी से किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही अस्वीकृत किया जा सकता है एवं विधि कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर